न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट /59/2021/भीलवाड़ा

अर्जुन सिंह पुत्र राम सिंह शेखावत, निवासी हनुमान कॉलोनी, शास्त्री नगर भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत नियम 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश दिंनाक 20–02–2020

————

उपस्थितः 1– श्री ईश्वर देवड़ा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 21–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी भीलवाड़ा का निवासी है तथा खनन का व्यवसाय करता है अपीलार्थी आत्म सुरक्षार्थ एक टोपीदार बन्दूक दो नाल जिसके हथियार नम्बर 48558 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 31–12–2018 तक नवीनीकृत था जिसका नवीनीकरण आगामी अवधि 1–1–2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक नवीनीकरण हेतु प्रत्यर्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में आवेदक के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण संख्या 120/2010 अन्तर्गत धारा 381, 411 भा0द0स0 में पुलिस थाना में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया तथा अपीलार्थी के पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं करने की सिफारिश की गई। जिस पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा

अपीलार्थी को बिना सुने व सूचित किये बिना ही सरसरी तौर पर आदेश दिनांक 20–2–2020 के द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन को निरस्त कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के उक्त आदेश दिनांक 20–2–2020 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश की जानकारी अपीलार्थी को नहीं हो सकी। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रस्तुत करने के उपरान्त अपलार्थी को ना तो सुना गया ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस ही दिया गया। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2020 के अंतिम माह में कोरोना होने के कारण आर्म्स के नवीनीकरण बाबत जानकारी की तो अवगत कराया गया उसका आर्म्स नवीनीकरण आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है। तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा उक्त सन्दर्भ में अभिभाषक से सम्पर्क कर नकल आदि प्राप्त कर जानकारी दिनांक से अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की धारा–5 मियाद अधिनियम की बहस का जवाब देते हुए तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी ने केवल अपनी आत्म सुरक्षार्थ ही उक्त हथियार क्रय किया था। उसका कभी भी दुरूपयोग नहीं किया। अपीलार्थी अपने शस्त्र का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करवाता आ रहा है। अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र की अवधि दिनांक 31–12–2018 को समाप्त होने से पूर्व ही अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया जिसका नवीनीकरण शुल्क भी जमा करवा दिया गया था जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें अपीलार्थी के विरूद्ध जो मुकदमा विचाराधीन होना बताया गया वह भी सिद्ध नहीं हुआ है। साथ ही उक्त रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट रूप से अंकित था कि अपीलार्थी ने पिछले वर्षो में उक्त हथियार का कतई दुरूपयोग नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं था। इसके बावजूद भी अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र के आवेदन पत्र को निरस्त कर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि नियमानुसार आदेश पारित करने से पूर्व दूसरे पक्ष को सुना जाना आवश्यक है। एकपक्षीय रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई निर्णय कानूनन पारित नहीं किया जा सकता था। आयुद्ध अधिनियम की धारा 17(1) के आदेशात्मक विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का समचित अवसर प्रदान किये बिना आक्षेपित आदेश दिनांक 20–2–2020 पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट का पूर्ण अवलोकन नहीं किया गया जहां उसमें एक ओर अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया था वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट अंकित किया गया कि उक्त हथियार का दुरूपयोग उसके द्वारा नहीं किया गया है तथा मुकदमें में जो धाराए लगाई है वह भी संगीन धाराए न होकर साधारण धाराए है साथ ही अपीलार्थी पर कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी का अचारण, व्यवहार को ठीक बताया है और हथियार का दुरूपयोग नहीं करने और उसके विरूद्ध कभी भी शांति भंग करने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं किया जाने का अंकन है। अपीलार्थी के विरूद्ध जो आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होना बताया उसमें अपीलार्थी को अभी दोष सिद्ध नहीं माना गया है।

उनका यह भी कथन है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा आयुद्ध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का सरसरी तौर पर बिना अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को नजरअन्दाज कर आदेश पारित किया है साथ ही अपीलार्थी के विरूद्ध कभी भी अनुज्ञा प्राप्त शस्त्र के

द्वारा पब्लिक सुरक्षा एवं शांति भंग करने का कोई कृत्य नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उसके पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के पक्ष में जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) को बहाल कर नवीनीकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट ली। पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट में आर्म्स अनुज्ञापत्रधारी के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण संख्या 120/10 धारा 381, 411 भा0द0स0 में पुलिस थाना कोतवाली में पंजीबद्ध होकर विचाराधीन होने से आर्म्स अनुज्ञापत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है। जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट उचित है जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश विधिसम्मत है। अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 381 व 411 भा0द0स0 वर्तमान में भी विचाराधीन है। लगभग डेड़ वर्ष पश्चात न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–2 भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 29–9–2021 को पारित किया है जिसमें अपीलार्थी को सन्देह का लाभ देते हुए बरी किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। गृह (ग्रुप–9) विभाग जयपुर के पत्र प–1 (13) गृह–9/2006 पार्ट दिनांक 15–3–2013 द्वारा दिये गये निर्देश इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–2–2020 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 120/2010 अन्तर्गत धारा 381, 411 भा0द0स0 में पुलिस थाना कोतवाली में दर्ज होकर चालान अदालत होने पर मुकदमा संबंधित न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेख करते हुए हथियार नम्बर 48558 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि अपीलार्थी द्वारा अपील मीमों में स्वयं की आत्म सुरक्षार्थ हथियार टोपीदार बन्दूक दो नाल जिसका हथियार नम्बर 48558 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) का कभी दुरूपयाग नहीं किया है। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त तो किया जा चुका है किन्तु अपीलार्थी के आपराधिक प्रवृति का होने एवं पूर्व में विभिन्न धाराओं में मुकदमा विचाराधीन होने के मध्यनजर हथियार पास में होने से किसी भी अनहोनी से इन्कार नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह परिलक्षित नहीं होता है कि अपीलार्थी को किसी भी प्रकार से जान व माल का कभी खतरा हुआ हो एवं किसी प्रकार की सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता हो। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा ने अपनी रिपोर्ट में अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। उक्त आधार पर अपीलार्थी का हथियार नम्बर 48558 का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या मूल बीएचएल/2/98(मूल 62/97) को निरस्त कर संबंधित थाने में जमा कराने का आदेश दिनांक 20–2–2020 पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा पारित आदेश क्रमांक न्याय/आदेश/2019/22231 दिनांक 20–02–2020 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर